भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3473
गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>रूफटॉप सोलर योजना</u>

3473. श्री जी.एम. सिद्धेश्वरः
श्रीमती पूनम महाजन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय सहायता से रूफटॉप सोलर योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रावधानों, लक्ष्यों, निर्धारित केंद्रीय सहायता और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम आदमी भी इस योजना का लाभ उठा सकता है और इसका लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उत्पादित बिजली को खरीदने और बेचने का प्रावधान है यदि हां, तो विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में अब तक कितने सोलर रूफटॉप संस्थापित किए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत आवासीय क्षेत्र में ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर प्रणालियां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। सीएफए की विस्तृत संरचना अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

यह योजना 11,814 करोड़ रु. के कुल वित्तीय परिव्यय से मार्च, 2019 में शुरु की गई थी। इस योजना के तहत डिस्कॉमों के प्रचालन क्षेत्र में स्थापित आधार क्षमता से अधिक अतिरिक्त क्षमता के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है।

रूफटॉप सौर कार्यक्रम का वर्तमान चरण-II मांग आधारित है; और कार्यान्वयन एजेंसियों/डिस्कामों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है। एमएनआरई, आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/डिस्कॉम को क्षमता आवंटित करता है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 3.37 गीगावाट क्षमता आवंटित की है, जिसमें से दिनांक 31.07.2023 की स्थिति के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में 2.207 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है। योजना के तहत, आवंटित क्षमता और उपलब्धियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

(ग) रूफटॉप सौर कार्यक्रम, विशेष रूप से आवासीय उपभोक्ताओं के लिए लक्षित है। उपभोक्ता, डिस्कॉम द्वारा निविदा के तहत जारी परियोजनाओं के जरिए अथवा राष्ट्रीय पोर्टल (www.solarrooftop.gov.in) के जरिए योजना का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल पर, उपभोक्ता को अपनी पसंद का वेंडर, सौर उपकरण का ब्रांड एवं गुणवत्ता/दक्षता चुनने का विकल्प होता है। डिस्कॉम की भूमिका तकनीकी व्यवहार्यता का अनुमोदन जारी करने, नेट मीटर की स्थापना और प्रणाली का निरीक्षण करने तक सीमित होती है। प्रणाली की स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जारी की जाती है। आवेदन के पंजीकरण से लेकर सब्सिडी जारी करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन ली जा सकती है।

(घ) संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी मीटरिंग प्रावधानों के अनुसार, रूफटॉप सौर संयंत्र से उत्पादित अधिशेष सौर विद्युत ग्रिड में भेजी जा सकती है। उपभोक्ता, वर्तमान विनियमों के अनुसार, भेजी गई अतिरिक्त विद्युत का आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कॉम द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.07.2023 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में गिर्ड संबद्ध रूफटॉप सौर स्थापित क्षमता क्रमश: 410.65 मेगावाट और 1667.11 मेगावाट है।

<u>अनुलग्नक-**I**</u>

'रूफटॉप सोलर योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.08.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3473 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

कार्यक्रम के चरण-II के तहत सब्सिडी पैटर्न नीचे दिया गया है: सामान्य श्रेणी के राज्यों में व्यक्तिगत आवासीय उपभोक्ता:

रूपटॉप सौर संयंत्र की क्षमता	लागू सब्सिडी
3 किलोवाट तक	14,588/- रु. प्रति किलोवाट
3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक	पहले 3 किलोवाट के लिए 14,588/- रु. प्रति किलोवाट और इसके बाद 7,294/- रु. प्रति किलोवाट
10 किलोवाट से अधिक	94,822/- रु. निर्धारित

आवासीय कल्याण समितियाँ/समूह आवासीय सोसायटियाँ: 500 किलोवाट की अधिकतम क्षमता के लिए 7,294/- रु. प्रति किलोवाट

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में व्यक्तिगत आवासीय उपभोक्ता (दिनांक 27.01.2023 से आवेदनों के लिए)

रूपटॉप सौर संयंत्र की क्षमता	लागू सब्सिडी
3 किलोवाट तक	17,662/- प्रति किलोवाट
3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक	पहले 3 किलोवाट के लिए 17,662/- रु. प्रति किलोवाट और इसके बाद 8,831/- रु. प्रति किलोवाट
10 किलोवाट से अधिक	1,14,803/- निर्धारित

आवासीय कल्याण समितियाँ/समूह आवासीय सोसायटियाँ: 500 किलोवाट की अधिकतम क्षमता के लिए 8,831/- रु. प्रति किलोवाट

अनुलग्नक-II

'रूफटॉप सोलर योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.08.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3473 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभी तक चरण-II में कुल निवल आवंटन	चरण-II में सीएफए के तहत स्थापित क्षमता	राष्ट्रीय पोर्टल में नवीन सरलीकृत प्रक्रिया के तहत स्थापित क्षमता
1	अंडमान और निकोबार	1.00	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	8.00	3.35	0.11456
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0
4	असम	3.75	0.419	0.02371
5	बिहार	25.00	4.187	0.13096
6	चंडीगढ़	21.39	24.777	0.005
7	छत्तीसगढ़	19.00	3.535	0.005
8	दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0	0
9	गोवा	20.00	0.1	0.05457
10	गुजरात	1,936.50	1,710.41	0.06
11	हरियाणा	55.85	33.852	1.70552
12	हिमाचल प्रदेश	11.25	2.586	0
13	जम्मू और कश्मीर	220.00	1.832	0
14	झारखंड	28.38	0.416	0
15	कर्नाटक	33.00	0.171	0.66306
16	केरल	360.90	133.541	18.03824
17	लद्दाख	0.00	0	0
18	लक्षद्वीप	0.00	0	0
19	मध्य प्रदेश	55.96	27.341	5.96294
20	महाराष्ट्र	128.14	24.967	34.21177
21	मणिपुर	2.00	0.178	0
22	मेघालय	10.00	0	0
23	मिजोरम	1.19	0.353	0.002
24	नागालैंड	3.80	0.002	0
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	27.48	3.485	0.40083
26	ओडिशा	20.00	0.1955	0.06192
27	पुडुचेरी	5.00	0.006	0.05412
28	पंजाब	33.40	19.459	3.53934
29	राजस्थान	100.00	44.64	3.46779
30	सिक्किम	2.00	0	0
31	तमिलनाडु	10.00	5.874	0.52158
32	तेलंगाना	71.41	33.109	0
33	त्रिपुरा	1.00	0	0.00198
34	उत्तराखंड	14.78	13.705	2.38925
35	उत्तर प्रदेश	120.63	24.56889	19.1227
36	पश्चिम बंगाल	20.00	0	0
	कुल	3,370.82	2,117.06	90.53

*****